ARYAVART SHODH VIKASH PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 150-154
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-8, No.-II, Issues-IX YEAR- Dec-2017

गरीबी की अवधारणा, प्रमुख विशेषताएँ, कारण तथा नियंत्रणकारी नीतियाँ एवं उपाय : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ0 विनीत नारायण दूबे

एसोसिएट प्रोफेसर– भूगोल विभाग, श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया (उ0प्र0), भारत

गरीबी स्वयं में एक अभिशाप है, यह एक ऐसा सामाजिक विष दंश है, जिसे अनुभव करने वाला ही बता सकता है, इसे अनुभव करके ही सही रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अन्यथा इसकी कोई लिखित परिभाषा हो ही नहीं सकती। गरीबी तथा असमानता ही दो ऐसे कारक हैं जो वैश्विक तथा सामाजिक स्तर पर समाज में विभाजन के आधार बनाते हैं। जब समाज में गरीबी, भूखमरी, असमानता, निर्धनता की स्थिति होती है तब ऐसे देश तथा समाज से विकसित होने तथा विकास की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। वैश्विक स्तर पर भी अनेक मानकों के आधार पर इन्हें क्रमशः विकसित, विकासशील तथा पिछड़े के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है। जिन देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, रोजगार, उद्योग धन्धे तथा आदर्श जनसंख्या की सकारात्मक स्थिति पायी जाती है वहां गरीबी तथा असमानता नहीं दिखायी देती है, लेकिन जहां इन कारकों का प्रायः अभाव पाया जाता है, वहां यह गलित कुष्ठ रोग की तरह समाज को पीड़ित करता रहता है। आज वैश्विक स्तर पर गरीबी को परिभाषित करने का कोई एक निश्चित आधार या निश्चित परिभाषा नहीं है। क्षेत्रीय आधारों पर इसे अलग–अलग निर्धारित तथा परिभाषित किया गया है। सामान्य अर्थ में भोजन, कपड़ा, पानी तथा आश्रय जैसे जीने के लिए अपरिहार्य आवश्यकताओं से वंचित रहने वाली जनसंख्या को निर्धनता (गरीबी) के रूप में परिभाषित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास पर आधारित 'विश्व शिखर सम्मेलन' के दौरान दी गयी कोपेनहेगन घोषणा के अनुसार ''वह व्यक्ति निर्धन या गरीब है, जिसके पास भोजन, पीने के लिए साफ पानी, स्वच्छता की सुविधायें, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा तथा संचार सदृश मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।'' आय को बिना ध्यान में रखते हुए यदि किसी व्यक्ति को भोजन, शिक्षा ग्रहण करने तथा स्वास्थ्य की देखभाल करने की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसे निर्धन माना जाना चाहिए। गरीबी को भी क्रमशः निरपेक्ष तथा सापेक्ष रुप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें क्रमशः निरपेक्ष गरीबी से तात्पर्य, मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र शिक्षा, चिकित्सा सुविधा आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं व सेवाओं को एकत्र कर पाने में असमर्थता से लगाया जाता है। सापेक्ष गरीबी से अर्थ आय की असमानताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। निर्धनता तथा गरीबी के सहायक कारकों में मुख्य रूप से भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, कुपोषण (बीमारी), बाल श्रम, असहायता आदि प्रमुख हैं। निर्धनता रेखा का निर्धारक सामान्यतः आय अथवा उपभोग स्तरों के आधार पर किया जाता है। यदि आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाय तो देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब है। वैश्विक स्तर पर प्रतिव्यक्ति आय की दृष्टि से भी भारत की स्थिति, 1410 डॉलर के आधार पर सोचनीय है। भारत प्राकृतिक संसाधनों तथा अपनी अवस्थिति के अनुसार संसार के सर्वोत्तम देशों में से एक है, लेकिन इसे 'निर्धन लोगों' से बसे एक धनी देश' की उपाधि से विभूषित किया जाता है। हमारे देश में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लागू विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे–खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न वितरण, आवास सुविधा, ऋण सुविधा, प्रधानमंत्री रोजगार गारण्टी योजना, धन–जन योजना तथा ऐसी अनेक योजनाओं के पूर्ण कार्यान्वयन द्वारा देश की गरीबी तथा असमानता को निःसंदेश दूर किया जा सकता है, आवश्यकता है इन सरकारी योजनाओं को सही–सही लागू करना तथा उसके पात्रों का सही चयन करना है। जब हम इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सही–सही, समाज में भेद–भाव रहित ढंग से करते हैं तो निश्चित ही समाज को इसका शत्–प्रतिशत लाभ मिल सकता है। खाद्य सुरक्षा कानून जहां हमें खाद्यान्न की गारण्टी दे सकता है, वहीं सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा के कानून के आधार पर हम प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करने की गारण्टी दे सकते हैं। विभिन्न स्वास्थ्य से सम्बन्धित सुविधाएं प्रदान करके भी सामान्य जन को स्वस्थ रखने की गारण्टी दे सकते हैं। इसी प्रकार से उपलब्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, रोजगार, ऋण सुविधा, बैंकिंग सुविधा आदि के आधार पर गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा तथा सामाजिक भेदभाव व असमानता को दूर करके एक आदर्श भारत देश की कल्पना की जा सकती है तथा 'धनी देश किन्तु निर्धन निवासी' (। त्पबी बवनदजतल इनज चववत च्मवचसम) के स्थान पर 'धनी देश तथा धनी निवासी' उक्ति, चरितार्थ की जा सकती है, जहाँ देश की 121 करोड़ जनसंख्या खुशहाली से निवास कर सकती है। आवश्यकता मात्र देश की जनसंख्या को कुशल पूंजी संसाधन के रूप में विकसित करने की है।

भारत के कुल 29 प्रदेशों में कुछ प्रदेशों की स्थिति गरीबी के आधार पर सोचनीय है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार,

अनुरूपी लेखक

पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, राजस्थान तथा उड़ीसा प्रमुख हैं। एक अध्ययन के रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका के सबसे गरीब 26 देशों की गरीबी से इनकी तुलना की जा सकती है। आर्थिक तथा सामाजिक आधारभूत संरचनाओं जैसे–स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, शिक्षा, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, सूचना, प्रौद्योगिकी, बैकिंग तथा वित्त आदि सुविधाओं का उचित विकास करके भारत देश भी गरीबी तथा असमानता के कलंक को अपने माथे से मिटा सकता है। वर्तमान समय में देश की चहुंओर होती प्रगति के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत से यह समस्याएं निकट भविष्य में अवश्य ही दूर होगी, ऐसी अपेक्षा है। भारत जो एक विकासशील देश है। निकट भविष्य में वह भी विश्व के विकसित देशों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अवश्य ही खड़ा होगा, जहां विश्व के सर्वाधिक युवा ही होंगे।

प्रमुख उद्देश्य– प्रस्तुत शोध–पत्र का प्रमुख उद्देश्य गरीबी (निर्धनता) की अवधारणा को परिभाषित करना तथा उसकी विशेषताओं को बताना है। गरीबी के कौन–कौन से प्रमुख कारण हैं तथा इसको दूर करने की प्रमुख योजनायें व नीतियां क्या हैं? साथ ही गरीबी दूर करने के कौन–कौन से प्रभावी उपाय हो सकते है, इसको जानना है।

शोध–प्रविधि व आँकड़े– प्रस्तुत शोध–पत्र में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, आंकड़े भारत सरकार के नियोजन विभाग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के प्रतिवेदन के आधार पर तथा विभिन्न शोध पत्रों के निष्कर्षों के आधार पर एकत्रित किये गये हैं। योजना आयोग (वर्तमान में परिवर्तित नाम–नीति आयोग) के उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग इसमें किया गया है।

भारत की 2011 की नवीनतम जनगणना के अनुसार कुलए 121 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 37.7 करोड़ नगरीय तथा 83.3 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या का कुल प्रतिशत क्रमशः 31.16 तथा 68.84 प्रतिशत है, जबकि उत्तर प्रदेश में 22.28 प्रतिशत नगरीय तथा 77.72 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। जनसंख्या के नगरीय तथा ग्रामीण वितरण के आधार पर कहा जा सकता है कि जनसंख्या का बड़ा भाग नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है। नगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। एक ओर प्राकृतिक सुविधाएं, प्रकृति गांवों में खुले हाथों से मुक्त लुटाती है, वहीं कृत्रिम सुविधाएं शहरों में अधिक है, लेकिन प्राकृतिक सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। खुली शुद्ध हवा, प्रदूषण रहित वातावरण, स्वच्छ वातावरण, हरीतिमा तथा प्राकृतिक परिवेश का पूर्ण रूप गांवों में ही देखा जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कृत्रिम सुविधाएं सर्वाधिक सुलभ होती है। भारत में औसत गरीबी का प्रतिशत लगभग 22 है, वहीं वैश्विक प्रतिशत 18 है। जहाँ भारत में औसतन 270 मिलियन गरीब पाये जाते हैं, वहीं वैश्विक स्तर पर लगभग 1200 मिलियन गरीबों की अनुमानित संख्या है। विश्व की कुल जनसंख्या कहा जहाँ भारत में 17.5 प्रतिशत निवास करता है, वहीं यहां विश्व के लगभग 20.6 प्रतिशत गरीब व्यक्तियों का निवास भी है। योजना आयोग के 2013 के आंकड़ों के अनुसार 2004–05 के 37ण्2ः ए गरीबी के स्थान पर 2011–12 में 21ण्9ः परिवर्तित हुई है अर्थात् गरीबी कम हुई है। विभिन्न आंकड़ों के अनुसार यह समय–समय पर बदलती रहती है। पूर्ववर्ती ;कांग्रेसद्ध सरकार ने 27 रुपये ग्रामीण तथा 33 रुपये प्रति दिन में खर्च करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना है। वहीं मासिक औसत 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह ग्रामीण तथा 1000 रुपये/व्यक्ति प्रतिमाह शहरी खर्च के आधार पर माना गया है, विभिन्न समाचार पत्रों के आंकलन के आधार पर इसे क्रमशः ग्रामीणों के लिए 32 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 47 रुपये प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन के अनुसार आंकलित किया गया है। महंगाई में वृद्धि के साथ–साथ धीरे–धीरे वह सीमा बढ़ती रहती है, वैश्विक स्तर पर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो भारत में एक गरीब की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय डालर 0.53, अर्जेण्टाइना में 0.74, चीन में 0.56, नाइजीरिया में 0.40 तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 13 डालर औसतन पाया जाता है। वर्तमान केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिकाधिक जानकारी की उपलब्धता के अनुसार, वर्ष 2014 में गरीबी रेखा का निर्धारण रु. 927 (डालर में 15) ग्रामीण क्षेत्रों में तथा रु. 1407 (डालर में, 21) शहरी क्षेत्रों के लिए अनुमानित है। भारतीय राज्यों में क्षेत्रीय आधारों पर देखा जाय तो पाण्डीचेरी (कर्नाटक) में उच्चतम बिन्दु रु. 1301 (डालर में, 20) ग्रामीण तथा रु. 1309 (डालर में, 20) प्रति माह, नगरीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि उड़ीसा राज्य में सबसे कम रु. 695 (डालर 10) ग्रामीण क्षेत्रों तथा रु. 861 (डालर, 19) प्रतिमाह नगरीय क्षेत्रों में पाया जाता है।

गरीबी तथा उसके प्रमुख लक्षण– निर्धनता (गरीबी) से तात्पर्य आवश्यक वस्तुओं तथा सुविधाओं के अभाव से है। निर्धन, गरीब व्यक्तियों को दिन में दो बार भोजन भी नहीं मिल पाता है तथा उनके पास जीने के लिए आवश्यक चीजें जैसे कपड़े, बर्तन, बिस्तरों तथा सुरक्षित निवास का भी अभाव होता है। उने मकान भी कच्चे तथा रहने के अयोग्य होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वह भूमिहीन होते हैं, यदि कुछ लोगों के पास जमीन भी होती है तो वह बंजर, उपजाऊहीन होती है। उनमें शिक्षा तथा कुशलता का पूर्णतः अभाव, खराब स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल की प्राप्ति का अभाव, विद्युत आपूर्ति की कमी, खाना बनाने के दूषित साधन तथा छोटी–छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी ऋण लेने की आवश्यकता होती

है। अपने परिवार का पालन–पोषण करने, शारीरिक स्वास्थ्य तथा बच्चों को शिक्षा देने के लिए भी उनके पास अर्थाभाव पाया जाता है। गरीब जहां दो जून की रोटी की व्यवस्था ही नहीं कर पाता, वहां वह अपने अन्य सुविधाजनक संसाधनों को कैसे जुटा सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक गरीब किसी प्रकार से अभावों में जीवन जीता है। भारत में निरपेक्ष निर्धनता रेखा की सहायता से मापन किया गया है। भारत में लगभग 25 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे जीवन–यापन करती है। भारत में निर्धनता से अभिप्राय उस स्थिति का होना है, जिसमें एक व्यक्ति अपने लिए जीवन के न्यूनतम आवश्यक साधन खरीदने के लिए पर्याप्त आय का अर्जन नहीं कर पाता है। जीवन के न्यूनतम साधनों में उचित संतुष्टि स्तर का पोषित भोजन, न्यूनतम आवश्यक कपड़े, निवास, सुस्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल तथा शिक्षा के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति आदि महत्वपूर्ण हैं। सापेक्ष तथा निरपेक्ष निर्धनता एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न प्रकार के होते हैं। सापेक्ष निर्धनता से तात्पर्य विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पायी जाने वाली निर्धनता से है। यह दर्शाती है कि निम्न आय वर्ग से संबंधित लोग उन लोगों की तुलना में निर्धन हैं, जो उच्च आय वर्ग से संबंध रखते हैं। एक वर्ग की इस प्रकार की निर्धनता केवल दूसरे वर्ग से सापेक्षिक होती है। विकसित तथा अल्पविकसित (पिछड़ा) कोई भी देश हो, वह आय के असमान वितरण के कारण प्रत्येक देश में सापेक्ष निर्धनता दिखाई देती है। इसके अन्तर्गत चाहे विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो या विकासशील देश भारत।

भारत में निरपेक्ष निर्धनता द्वारा गरीबी का निर्धारण– निरपेक्ष निर्धनता का अभिप्राय किसी देश की उस जनसंख्या से है, जो जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही है। भारत में वास्तविक अथवा निरपेक्ष निर्धनता की धारणा का प्रयोग निर्धनता को मापने में किया जाता है। निरपेक्ष निर्धनता की माप, निर्धनता रेखा की धारणा द्वारा किया जा सकता है। निर्धनता रेखा में न्यूनतम उपभोग स्तर बताया गया है। वे सभी व्यक्ति जो न्यूनतम उपभोग स्तर तब नहीं पहुंच पाते, वे निर्धन होते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2009–10 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 21.8 प्रतिशत निरपेक्ष रूप से निर्धन है। निर्धनता रेखा के निर्धारण की विभिन्न विधियों में प्रथम विधि दादाभाई नौरोजी, 'जेल की निर्वाह' लागत विधि है, जिसमें उन्होंने जेल में कैदियों को दिये जा रहे भोजन का प्रयोग किया तथा एक वयस्क कैदी की उपभोग की बाजार कीमतों पर मूल्यांकन कर 'निर्वाह की जेल लागत' का अनुमान लगाया, दूसरी प्रविधि प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम अनुमानन कार्य बल, जिस प्रविधि में योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया है। तृतीय प्रविधि, व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर निर्धारित की गई है, जिसमें योजना आयोग ने इस न्यूनतम कैलोरी उपभोग के लिए निर्धनता रेखा को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति प्रति माह उपभोग के रूप में खर्च के आधार पर निर्धारित किया है।

भारत में निर्धनता अनुपात तथा गरीबों की संख्या– योजना आयोग द्वारा निर्धनता सम्बन्धी दिये गये अनुमान राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संगठन ;छैब्द्ध के 1993–94 से 2004–2005 के अनुमानों पर आधारित है। पिछले दो दशकों में गरीबी रेखों से नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों के अनुपात में महत्वपूर्ण कमी आयी है। वर्ष 1973–74 में देश का निर्धनता अनुपात 56.4, 1977–78 में 51.3, 1983–84 में 44.5, 1987–88 में 38.9, 1993–94 में 36.0, 1999–2000 में 26. 1, 2004–05 में 21.8 प्रतिशत रहा है।

निर्धनता (गरीबी) सम्बन्धी क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पायी जाती हैं जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग–अलग होती हैं। उड़ीसा देश का सबसे निर्धन राज्य है, जहाँ निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 39.9 प्रतिशत है, उसके बाद झारखण्ड 34.8, बिहार 32.5 प्रतिशत है, वहीं चंडीगढ़ में 3.8, जम्मू–काश्मीर में 4.2 तथा पंजाब में 5.2 है। देश के अन्य राज्यों में आसाम में 15, गुजरात में 12.5, हरियाणा में 9.9, कर्नाटक में 17.4, केरल 11.4, मध्य प्रदेश में 32.4, राजस्थान में 17.5, तमिलनाडु में 17.8 तथा पश्चिम बंगाल में 20.6 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 45.8 मिलियन, बिहार में 29 मिलियन तथा महाराष्ट्र में 26 मिलियन है, जहां दिल्ली में 1.6 मिलियन लोग निर्धनता रेखा के नीचे रहते है, जो राजधानी की कुल जनसंख्या का 10.2 प्रतिशत है।

भारत में निर्धनता (गरीबी) के प्रमुख कारण– देश में गरीबी के अनेकानेक कारण हैं, इन्हीं कारणों का परिणाम गरीबी के रूप में देश में द्रष्टव्य है, जिसमें निर्धनों की संख्या में लगातार जनसंख्या वृद्धि के उच्च दर का पाया जाना, बेरोजगारी तथा ऋण ग्रस्तता का होना, आर्थिक विकास की नीची दर, साक्षरता का अभाव, मुद्रास्फीतिक दबाव, सामाजिक तत्वों का प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्रों से महानगरों की ओर जनसंख्या का पलायन, भूमि सुधार कानूनों के लागू होने की असफलता, वैश्वीकरण का प्रभाव, पूंजी की अपर्याप्तता, सामाजिक विवाद, क्षेत्रीय मुद्दे तथा आपसी वैमनस्य आदि प्रमुख कारक हैं। समय–समय पर होने वाली प्राकृतिक परिघटनायें जैसे सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूस्खलन, भूकम्प आदि भी गरीबी पैदा करने के प्रमुख कारण हैं, उदाहरणार्थ वर्ष 2015 में आए नेपाल के भूकम्प ने भी वहां ऐसे उदारण

प्रस्तुत किये हैं। इसी प्रकार बद्रीनाथ तथा केदारनाथ में घटने वाली प्राकृतिक घटनाएं इसके लिए उत्तरदायी कारक हैं।

निर्धनता (गरीबी) दूर करने की प्रमुख नीतियां एवं सरकारी कार्यक्रम– निर्धनता दूर करना भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसको दूर करने के लिए सरकारों के साथ–साथ, निजी सहभागिता तथा स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग आवश्यक है, तभी इस गरीबी रूपी महामारी से देश को बचाया जा सकता है। इसको दूर करने के प्रमुख उपायों में निम्नलिखित नीतियां कारगर हो सकती हैं।

– आर्थिक सवृद्धि दर में वृद्धि की जानी चाहिए (Rate of Economic Growth should be raised)

– विभिन्न लाभ प्रदायक कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करने की नितान्त आवश्यकता है। (Various beneficiary oriented programmes need to be strengthened)

– न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। (To provide minimum Basic Amenities should be necessary)

निर्धनता (गरीबी) को दूर करने के लिए विभिन्न पूर्ववर्ती तथा वर्तमान केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाये गये विशेष कार्यक्रम लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं, आवश्यकता है, इन कार्यक्रमों के सही–सही पूर्ण क्रियान्वयन तथा उनको लागू करना। जब इन विशेष कार्यक्रमों को समाज में सही–सही कार्यान्वित किया जायेगा तो निश्चित ही उससे शत–प्रतिशत सफलता की अपेक्षा की जा सकती है, अन्यथा सभी कार्यक्रम उपलब्धता के बावजूद भी 'ढाक के तीन पात' ही सिद्ध होंगे। इन प्रमुख योजनाओं में महत्वपूर्ण जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY) 1991 से प्रारम्भ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (JGSY) 1 अप्रैल, 1999 से प्रारम्भ, रोजगार आश्वासन योजना (EAY) 2 अक्टूबर, 1993, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY), सितम्बर 2001, 2002 एवं 2005 में अन्य योजनाओं के साथ संयुक्त, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ;छै।क्द्ध 15 अगस्त, 1995, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (PMGY), प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल आदि योजनाएं सम्मिलित हैं। अन्य प्रमुख योजनाओं तथा कार्यक्रमों में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, समग्र आवास योजना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना, अन्नपूर्णा, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, शिक्षा सहयोग योजना, बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय ग्रामीण नवीकरण मिशन, ग्रामीण रोजगार उत्पत्ति कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) आदि प्रमुख हैं।

वर्तमान केन्द्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के अन्तर्गत, नगदी हस्तान्तरण योजना, जन वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना, आम आदमी बीमा योजना, दीनदयाल उपाध्याय पुनर्वास योजना, अटल पेंशन योजना, बचत लैम्प योजना, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इण्डिया योजना, ग्रामीण भण्डारण योजना, मातृत्व सहयोग योजना, जन–धन योजना, जननी सुरक्षा योजना, मेक इन इण्डिया योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, शाला दर्पण तथा कला उत्सव शिक्षा की जनजागरूकता से सम्बन्धित ई–गवर्नेंस तथा ई–मोबाईल आदि अन्य प्रमुख योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन वर्तमान भाजपा सरकार तेजी से कर रही है। गरीबी दूर करने के अन्य प्रमुख उपायों में विकास इस प्रकार होना चाहिए, जिससे विकास की प्रक्रिया व उपभोग के इन साधनों का काफी हद तक समानतापूर्ण वितरण सुनिश्चित कर सकें। इसी प्रकार विकास प्राप्त करने के समय भी गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ आन्तरिक कदम उठाये जायें ताकि गरीबों को इस विकास के फल अपने पास तक पहुंचने का इन्तजार न करना पड़े। यदि इस समस्या पर तत्काल विचार नहीं किया गया तो पूरा देश भयावह, असंतुलित तथा अन्यायकारी कथित समृद्धि के रास्ते पर बढ़ जायेगा। गरीबी का उन्मूलन कभी एक महान लक्ष्य एवं पवित्र धर्म समझा जाता था। आज अब गरीब तथा गरीबी दोनों राजनीतिक खेलों की मोहरें बन गये हैं। अनेक सरकारें गरीबों को दांव पर लगाती रही हैं, इससे राजनेताओं की अपनी खिचड़ी तो पक जाती है, लेकिन गरीब, गरीबी ही झेलता रहता है। हम राजनीतिक रूप से 'गरीबी हटाओ' युग में पुनः पहुंच गये हैं। जिन करोड़ों व्यक्तियों की आंखो के आंसू पोछने के लिए महात्मा गांधी जी ने अहिंसक आन्दोलन चलाया था, उनकी संख्या तथा उनकी आंखों में आंसुओं की मात्रा घट नहीं रही है, बल्कि तेजी से बढ़ रही है। सरकारें कोई भी गरीबी हटाने का आंकड़ा प्रस्तुत करें, फिर भी गरीब तो गरीब ही रहेगा, भले ही उसे सरकारी योजनाएं तथा फाइलें अपने रिकार्ड में कितना भी सम्पन्न बना दें। अब यह नहीं कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने प्रगति नहीं की है। हमारी प्रगति की गति अन्य देशों के मुकाबले भले ही कम हो लेकिन हम शून्य से प्रारम्भ करके विभिन्न क्षेत्रों में विकसित देशों के बराबर होने का संकेत देने लगे हैं। आज यद्यपि सरकारी प्रयासों तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अनेक उपाय किये जा रहे हैं, जिससे गरीबी घटी है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के भारत में प्रमुख आकर्षक का कारण सस्ते श्रम की उपलब्धता है। अगर हम केवल पूंजी के बल पर उपलब्ध तकनीक

को ही प्रधानता देते रहे तथा श्रम शक्ति का विकास नहीं किया तो इसके दूरगामी परिणाम वही होंगे जो अन्य देश भुगत रहे हैं अर्थात् अपने श्रम का हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा।

निष्कर्ष– निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों की प्रमुख कमियों में देश में अनुपलब्ध पर्याप्त वित्तीय सीमाएं, रूचि का अभाव, अनुचित लक्ष्य निर्धारण तथा उत्तरदायित्वों का अभाव प्रमुख है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हम प्रमुख उपायों के द्वारा निर्धनता उन्मूलन के सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से देश के प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि, कुछ राज्यों में वास्तविक निर्धनता के प्रतिशत में कमी, कार्य के बदले मजदूरी में वृद्धि, पोषण स्तर में वृद्धि आदि प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। यद्यपि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की कुशलता में सुधार करने का क्षेत्र अति विस्तृत है तथापि पंचवर्षीय योजनाओं में इसके उन्मूलन हेतु भी अनेक प्रमुख उपायों, जैसे, उचित लक्ष्य निर्धारण, व्यर्थता में कमी, भ्रष्टाचार की समाप्ति, अच्छी योजनाओं का निर्माण तथा लक्ष्य, कार्यक्रमों तथा योजनाओं की पुनरावृत्ति से बचाव, अत्यधिक समन्वय तथा उच्च उत्तरदायित्व के लिए संस्थागत दशाओं का निर्माण प्रमुख है। इन सभी के पूर्ण रूप से अनुपालन तथा क्रियान्वयन के द्वारा हम समाज से गरीबी को पूर्ण रूप से मिटा सकते हैं। प्रमुख रोल मॉडल के देशों में जापान तथा कोरिया को लिया जा सकता है, जिन्होंने बिना विदेशी पूँजी का निवेश किये, अपने बल पर श्रम शक्ति के सहारे तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी विकास द्वारा विकास करके सम्पूर्ण दुनिया को दिखा दिया है। आज यह देश अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का दस प्रतिशत स्वास्थ्य तथा चिकित्सा पर खर्च करते हैं, जबकि हमारा देश इन मदों पर मात्र 1.6 प्रतिशत व्यय करता है। यह अलग बात है कि इतनी गरीबी के बावजूद भी भारतीय संतुष्ट तथा सुखी रहता है, वह जो उपलब्ध है, उसी में जीने की कला सीख लेता है तथा भाग्य पर भरोसा करता है। विश्व के अन्य देशों में ऐसा नहीं है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Poverty and Equity: India The World Bank (2012).
2. Moyna, (April, 2011) "PPL's dividing line" Down to the Earth : Science and Entertainment online cse webnet.
3. दीपाश्री : भारत में निर्धनता की समस्या, भारत का आर्थिक विकास, सरस्वती हाउस प्रा0लि0, नई दिल्ली 2011, पृष्ठ 4.1–4.13
4. अनंत, टी0सी0ए0 : गरीबी का आकलन, योजना, विकास, रोजगार और गरीबी, अंकए अक्टूबर 3, 2013, पृष्ठ 7–10.
5. गुप्ता, के0एल0 एवं सी बी मामोरिया, भारत का भूगोल, भारत की समसामयिक समस्याएँ, साहित्य भवन पब्लिशन्स, आगरा, 2014, पृष्ठ 408–412.
6. निर्धनता : एक चुनौती, अर्थशास्त्र पाठ्य पुस्तक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 2007, पृष्ठ 29–40.
7. भारत में खाद्य सुरक्षा, अर्थशास्त्र, पाठ्य पुस्तक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 2007, पृष्ठ 41–43.
8. इस्लाम, रिजवानुल, योजना, विकास, रोजगार और गरीबी, अंक अक्टूबर 2013, पृष्ठ 19–22.

*****